

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर
क्रमांक 394/सी-158/वि/नि/चार/2005, रायपुर, दिनांक 27 सितंबर, 2005
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(पेशन) नियम 1976 के नियम 9 में संशोधन ।


उक्त नियम के अंतर्गत पेशनर द्वारा शासकीय सेवा एवं पुनर्नियुक्ति अवधि में की गई लापरवाही अथवा गंभीर दुराचरण के कारण विभागीय या न्यायिक जांच में दोषी पाये जाने पर पेशन रोकने, वापस लिये जाने अथवा पेशनर से वसूली का अधिकार राज्यपाल के पास सुरक्षित है ।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत उक्त नियम सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा पर नियुक्त पेशनरों पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(पेशन) नियम 1976 के नियम-9 में संशोधन संलग्न है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सतीश पाण्डेय)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**Government of Chhattisgarh
Department of Finance and Planning
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 27 Sept. 2005


No 394 /158/IV/R/04 In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely:-

AMENDMENT

In the said Rules,-

In sub-rule (1) of rule 9, for the words "rendered upon re-employment after retirement" the words "rendered upon re-employment or on contract after retirement" may be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh



(Satish Pandey)
Deputy Secretary
Government of Chhattisgarh
Finance Department

पृष्ठां.क्रमांक 395/सी-158/वि/नि/चार/2005

रायपुर, दिनांक 27/09/2005

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
 3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
 4. रजिस्ट्रर जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
 5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/ मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छ.ग. रायपुर ।
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
 7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
 8. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर ।
 9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
 10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
 11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
 14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
 15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
 16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग. ।
 17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
 18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
 19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
 21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), को वित्त विभाग की बेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(एस.के.चक्रवर्ती)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग